रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 2012/पौष 26, 1933
No. 13] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 16, 2012/PAUSA 26, 1933

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 18(अ).—भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण, भांडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भांडागार सलाहकार समिति के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (प्रत्यायन, अभिकरण का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं-**

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) 'अधिनियम' से भांडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) अभिप्रेत है ;

(ii) 'आवेदक' से इस अधिनियम, नियमों और इन विनियमों के अधीन प्रत्यावन अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकरण की वांछा रखने के लिए प्राधिकरण को आवेदन करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ।

(iii) 'प्राधिकरण' से अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन गठित भांडागार और विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(iv) 'प्ररूप' से इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(v) 'रजिस्ट्रीकरण' से इन विनियमों के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है ; और

(20) "नियम" से भंडागार (विकास और विनियमन) प्रत्ययन अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010 अभिप्रेत है ;

(2) जो शब्द और पद इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम और नियमों में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, अधिनियम या नियमों में हैं ।

अध्याय 2

प्रत्ययन अभिकरण

3. प्रत्ययन अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण- प्राधिकरण, अधिनियम, नियमों और विनियमों के अधीन प्रत्ययन अभिकरण के रूप में कार्य करने के प्रयोजन के लिए ऐसे निकायों को रजिस्टर कर सकेगी जिनके पास नियमों में यथावर्णित अनुसंधान, निपटान, प्रशिक्षण, निरीक्षण या भांडागारों के प्रत्ययन में पर्याप्त अनुभव है ।

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

4. रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया- (1) प्राधिकरण, प्रत्ययन अभिकरण को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए, अधिनियम और भांडागार (विकास और विनियम) प्रत्ययन अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण, नियम, 2010 में यथा विहित सभी सुसंगत सूचना की, सावधान तत्परता से जांच, करेगा ।

(2) प्राधिकरण पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से इंकार कर सकेगा और ऐसे इस प्रकार पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत करेगा ।

(3) विनियम (4) के अधीन प्रस्तुत कोई आवेदन, जो सभी परिप्रेक्ष्यों में पूर्ण नहीं है और प्ररूप में विहित अनुदेशों के अनुसार नहीं है, को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

5. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण- रजिस्ट्रीकरण की वांछा रखने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत प्रत्ययन अभिकरण रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व नियत प्ररूप में, दो प्रतियों में, प्राधिकरण को आवेदन करेगा ।

6. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि का जारी करना- (1) मूल प्रमाणपत्र के खोने, फट जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, विरूपित या विकृत हो जाने की दशा में प्राधिकरण द्वारा विहित प्ररूप में अनुरोध प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी की जाएगी ।

(2) फटे हुए, क्षतिग्रस्त, विरूपित या विकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी होने पर प्रत्ययन अभिकरण उस प्राधिकरण को अभ्यर्पित कर दिया जाएगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करने के लिए आवेदन के साथ आहरण और संवितरण अधिकारी, [illegible] विनियामक प्राधिकरण के पक्ष में, किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के [illegible] नियम 10 के उपनियम (3) में यथाविहित पांच सौ रुपए की फीस में होगी ।

अध्याय 4

[illegible] करने, निलंबित करने, रद्द करने, प्रतिसंहरण करने के लिए प्रक्रिया

7. रजिस्ट्रीकरण [illegible] प्राधिकरण, यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक अर्हता और अन्य अपेक्षाएं पूरी करता है, नियमों के [illegible] आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर किसी आवेदक को रजिस्ट्रीकरण [illegible] ।

8. रजिस्ट्रीकरण का निलंबन, रद्दकरण और प्रतिसंहरण. (1) अधिनियम का अध्याय IV के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :-

प्रत्यावर्तन अभिकरण ने दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन किया है ;

(i) प्रत्यायन अभिकरण प्राधिकरण द्वारा जारी किन्हीं आदेशों का पालन करने में असफल रहा है ;

(ii) प्रत्यायन अभिकरण ने कपटपूर्ण कार्य किया है ;

(iii) प्रत्यायन अभिकरण अधिनियम के अधीन यथापेक्षित भांडागारों के प्रचालन का संचालन करने के लिए किसी अन्य रीति से अक्षम हो गया है ; और

(iv) प्रत्यायन अभिकरण रजिस्ट्रीकरण के नियमों या अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के किन्हीं उपबंधों में यथाउपबंधित किन्हीं शर्तों का पालन करने में असफल रहा है ।

2. प्राधिकरण किसी भांडागार के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन, रद्दकरण और प्रतिसंहरण को शासित करने वाले उपयुक्त विनियमों में समय - समय पर उपांतरण कर सकेगा ।

9. रजिस्ट्रीकरण के निलंबन, रद्दकरण और प्रतिसंहरण की प्रक्रिया - रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण या प्रतिसंहरण का आदेश पारित करने के पूर्व प्राधिकरण ऐसे आधार का उल्लेख करते हुए जिन पर वह रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करने, रद्द करने या प्रतिसंहरित करने के लिए प्रस्तावित है, प्रत्यायन अभिकरण को नोटिस देगा और उससे कारण बताने की मांग करेगा कि क्यों प्रस्तावित कार्रवाई न की जाए ।

(2) प्रत्यायन अभिकरण नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण को लिखित रूप में उपबंधित उपविनियम (1) के अधीन जारी निलंबन नोटिस का जवाब देगा जिसके असफल होने पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विनिश्चय लिया जाएगा ।

(3) प्रत्यायन अभिकरण द्वारा किए गए निवेदन पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।

(4) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के निलंबन, रद्दकरण या प्रतिसंहरण के आदेश द्वारा व्यथित व्यक्ति अधिनियम के अधीन विहित अनुसार अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा ।

10. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का स्वैच्छिक अभ्यर्पण — किसी प्रत्यायन अभिकरण को प्राधिकरण के समक्ष ऐसे रद्दकरण के लिए उसके अनुरोध के लंबित रहने तक उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को स्वैच्छिक अभ्यर्पण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

11. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का खारिज किया जाना — जब रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त हो जाती है या प्रमाणपत्र निलंबित हो जाता है या रद्द किया जाता है या प्रतिसंहरित किया जाता है तो प्रत्यायन अभिकरण अधिनियम के अधीन प्रत्यायन अभिकरण के रूप में प्रवर्तित और कार्य करना समाप्त कर देगा और तत्काल ऐसे निलंबन, रद्दकरण या प्रतिसंहरण के सात दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र लौटा देगा ।

परंतु यह प्रत्यायन अभिकरण को अन्य शर्तों [illegible] लंबित किसी प्रत्यायन क्रियाकलाप के संबंध में [illegible] से निवारित नहीं करेगा ।

12. रजिस्ट्रीकरण के निलंबन, रद्दकरण या प्रतिसंहरण के लिए किसी प्रतिकर का न होना — जहां किसी प्रत्यायन अभिकरण का रजिस्ट्रीकरण इन विनियमों के उपबंधों के अधीन निलंबित, रद्द या प्रतिसंहृत किया जाता है वहां प्राधिकरण प्रत्यायन अभिकरण को किसी प्रतिकर, संदत्त फीस या जमा के प्रतिदाय का दावी नहीं होगा ।

13. रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी, रजिस्ट्रीकरणों का निलंबन और प्रतिसंहरण और प्रत्यायन अभिकरणों की सूची का प्रकाशन –

(1) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्यायन अभिकरणों के नाम और पतों को समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा और प्राधिकरण के वैबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चातवर्ती निलंबन या प्रतिसंहरण को भी अधिसूचित किया जाएगा और इसकी भी सूचना प्राधिकरण के वैबसाइट पर अलग से उपलब्ध कराई जाएगी ।

14. अपील – इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा ।

परंतु कोई अपील साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किंतु नब्बे दिन की कुल अवधि से परे ग्रहण नहीं की जा सकेगी यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकरण का समाधान कर देता है कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था ।

[फा. सं. डब्ल्यू.डी.आर.ए./6/2.ए.वि./2011]

श्रीमति नीलम प्रसाद, निदेशक

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2011

G.S.R. 18(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (2) of section 35 read with section 51 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Warehousing Development and Regulatory Authority, in consultation with the Warehousing Advisory Committee and with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely –

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) These regulations may be called the Warehousing Development and Regulatory Authority (Registration of Accreditation Agency) Regulations, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. -**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(i) "Act" means the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007);

(ii) "applicant" means the person making an application to the Authority for seeking registration as an accreditation agency under the Act, rules and these regulations;

(iii) " Authority" means The Warehousing Development and Regulatory Authority constituted under sub-section (1) of section 24 of the Act.

(iv) "Form" means the form appended to these regulations;

(v) "registration" means registration granted under these regulations; and

(vi) "Rules" means the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Accreditation Agencies Rules, 2010.

(2) The words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act and the rules shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or rules as the case may be.

CHAPTER II

ACCREDITATION AGENCIES

3. **Registration of Accreditation Agencies.**- The Authority may register such entities for the purpose of acting as accreditation agency under the Act, rules and regulations, that have sufficient experience as mentioned in the rules in the field of research, development, training, inspection or accreditation of warehouses.

CHAPTER III

PROCEDURE FOR REGISTRATION

4. **Process of Registration.**- (1) The Authority shall examine with due diligence all the relevant information as prescribed in the Act and the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Accreditation Agencies Rules, 2010, for the grant of registration certificate to the accreditation agency.

(2) The Authority may, for sufficient reasons to be recorded in writing, refuse to grant the registration to any applicant and shall furnish him with a copy of the order so passed.

(3) Any application submitted under regulation 4 which is not complete in all respects and does not conform to the instructions specified in the form, shall be rejected.

5. **Renewal of Registration.** – Any registered accreditation agency desirous of renewal of such registration, may make an application in duplicate to the Authority in the stipulated form at least three months before the expiry of the period of registration.

6. **Issue of Duplicate Registration Certificate.**- (1) The duplicate registration certificate shall be issued on receipt of request made in the form prescribed by the Authority against the original certificate, if it is lost, torn, damaged, defaced or mutilated.

(2) A registration certificate, which is torn, damaged, defaced or mutilated, shall be surrendered by accreditation agency to the Authority on issue of duplicate certificate.

(3) The application for issue of a duplicate registration certificate shall be accompanied with the fee of rupees five hundred through bank draft/banker's cheque of any nationalised bank in favour of Drawing and Disbursing Officer, Warehousing Development and Regulatory Authority, payable in New Delhi, as prescribed in the sub rule (3) of rule 10 of the Rules.

CHAPTER IV
PROCEDURE FOR REGISTRATION, SUSPENSION, CANCELLATION OR REVOCATION OF REGISTRATION

7. **Certificate of Registration-** The Authority shall, after satisfying that the applicant fulfils the qualifications and other requirements, grant the certificate of registration to any applicant within a period of one month from the date of receipt of application in Form prescribed in the Rules.

8. **Suspension, Cancellation and Revocation of Registration.-**(1)Every registration that has been granted under section 5 of the Act, shall subject to the following conditions, namely:-

The accreditation agency has made an application to be declared an insolvent;

(i) The accreditation agency has failed to carry out any orders issued by the Authority;

(ii) The accreditation agency has committed a fraudulent act;

(iii) The accreditation agency has in any other manner become incompetent to conduct accreditation of warehouses as required under the Act; and

(iv) The accreditation agency has failed to comply with any of the conditions as provided in the rules of registration or any provision of the Act or rules and regulations made there under.

(2) The Authority may modify, from time to time, suitable regulations governing the suspension, cancellation and revocation of registration of a warehouse.

9. **Procedure for Suspension, Cancellation and Revocation of Registration.-** (1) Before passing the order of suspension or cancellation or revocation of registration, the Authority shall give notice to accreditation agency stating the ground on which it is proposed to suspend, cancel or revoke the registration and call upon him to show cause as to why the proposed action should not be taken.

(2) The accreditation agency shall respond to the suspension notice issued under sub-regulation (1) above in writing to the Authority, within 15 days of receipt of the notice, failing which decision shall be taken on the basis of available material.

(3) After considering the submission made by the accreditation agency, the Authority shall pass such orders as it may deem fit.

(4) The person aggrieved by the order of suspension, cancellation or revocation of certificate of registration, may place an appeal to the Appellate Authority as prescribed under the Act.

10. **Voluntary Surrender of Certificate of Registration.-**No accreditation agency shall be allowed to voluntarily surrender its certificate of registration till the pendency of his request for such cancellation with the Authority.

IndiaCode

CHAPTER V
MISCELLANEOUS

11. Return of Certification of Registration.

When the certification of registration expires or is suspended or cancelled or revoked, the accreditation agency shall cease to operate and function as an accreditation agency under the Act; and shall return the registration certificate forthwith and not later than Seven (7) days of such suspension, cancellation or revocation.

Provided that this shall not prevent the accreditation agency from being bound to satisfy its obligations to the Authority in relation to any accreditation activity pending *inter alia*, furnishing of reports, submission of documents etc.

12. No Compensation for Suspension, Cancellation or Revocation of Registration.

Where registration of any accreditation agency is suspended, cancelled or revoked under the provisions of these regulations, the Authority shall not be liable for any compensation, or refund of fee or deposit paid to the accreditation agency.

13. Publication of Granting of Registration, Suspension and Revocation of Registrations and list of Accreditation Agencies.

(1) The names and addresses of registered accreditation agencies under the Act shall be notified from time to time and would also be provided on the website of the Authority.

(2) Subsequent suspension or revocation of the registration shall also be notified and the information thereof, would also be provided separately on the website of the Authority.

14. Appeals.

Any person aggrieved by an order of the Authority made under this Act, or any rules or the regulations made thereunder may prefer an appeal to the Appellate Authority within sixty days from the date of such order:

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the said period of sixty days but not beyond a total period of ninety days if the appellant satisfies the Appellate Authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the said period.

[F. No. WDRA/6/A&F/2011]

Ms. YATINDER PRASAD, Director